श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखाओं का अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.01.2010 से 31.12.2010

भाग—एक

1 प्रारम्भिकः—

(i) अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर न्यास दियोट सिद्व में निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत्त रहेः—

मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध के महत्वपूर्ण पदों पर अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010 तक, तैनात अधिकारियों के नामः—

(क) उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध, जिला हमीरपुर।

	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अभिषेक जैन (आईए0एस0)	1.1.2010 से 29.9.2010
2	श्री राजेन्द्र सिंह (आई0ए0एस0)	29.9.2010 से 31.12.2010

(ख) उप—मण्डलाधिकारी (ना0) बड़सर एवं अध्यक्ष बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोट सिद्ध जिला हमीरपुरः—

	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री सुख देव सिंह राणा (एच0ए0एस0)	1.1.2010 से 22.5.2010
2	श्री ओ0पी0 ठाकुर (एच0ए0एस0)	24.5.2010 से 31.12.2010

(ग) मन्दिर अधिकारी बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोट सिद्ध

1	श्री मदन लाल शर्मा (तहसीलदार)	1.1.2010 से 9.4.2010
2	श्री सूरज प्रकाश (तहसीलदार)	19.4.2010 से 31.12.2010

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

		पैरा
1	सावधि जमा योजना से सम्बन्धित ब्याज की ₹28335/—की हानि के बारे।	5 (ii)
2	स्थापना शाखा मे ंपाई गई अनियमितताएं।	10
3	उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर व उप मण्डलाधिकारी (ना0) बढ़सर को दिये गये अग्रिमों का अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।	15
4	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा मन्दिर न्यास से की गई ₹546256/—की वसूली के बारे में।	16
5	विभिन्न संस्थाओं द्वारा मुद्रित पत्रिकाओं तथा अन्य उत्सवों में किए गए विज्ञापनों पर किए गए ₹673000/— के अनुचित व्यय के बारे में।	17
6	यात्री निवास के Build up Area के मूल्य निर्धारण ₹1,29,58,000/—से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत न करना।	18 (i)

7	यात्री निवास में स्थापित furniture & Fixture के मूल्य निर्धारण ₹347977/–के अभिलेख प्रस्तुत न करना।	18 (ii)
8	यात्री निवास की खरीद के पश्चात माह 7/10 से 12/10 तक ₹322493/–की वित्तीय हानि।	18 (iii)
9	खरीद हेतु कमेटी गठित न करने बारे।	18 (iv)
10	विभिन्न विभागों को दिए गए पंखों के बारे में।	19

(iii) गत अंकेक्षणः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर मन्दिर न्यास द्वारा की गई कार्रवाई के अवलोकन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

अवधि 1/2010 से 12/2010 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री विद्या सागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 3.10.2011 से 14.2.2012 तक दियोट–सिद्ध में किया गया जिसके परिणाम अनवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। मन्दिर न्यास के लेखाओं की विस्तृत जांच करने हेतु आय पक्ष व व्यय पक्ष के लिए माह 4/2010 का चयन किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of information farnished and made available by the Controlling Officer of the Temple Trust. Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information or non-information on the part of Auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for test/detail cheek."

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास के अवधि 1/2010 से 12/10 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹83600/–किया गया। उपरोक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9" के नाम भिजवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 14.2.12 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट–I पर दिया गया है।

(i)	दिनांक 1.1.2010 को प्रारम्भिक शेष	162395914.55
	वर्ष में प्राप्त आय	119974064.30
	कुल राशि	282369978.85
	वर्ष में भुगतान की गई राशि	102239422.00
	31.12.2010 को अन्तिम शेष	180130556.85

(ii) दिनांक 31.12.2010 को अन्तिम शेष का मिलान बैंक खातों से निम्न प्रकार से किया गया दर्शाया गया है। अन्तशेष का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" में "ङ" तक पर भी दिया गया है।

ऑफरिंग एण्ड डोनेशन खाते से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि विवरण परिशिष्ट (क) में दिया गया है।	98060157.00
मन्दिर खाते से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि विवरण परिशिष्ट (ख) में दिया है।	43781172.00
गिरावट निधि से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि विवरण परिशिष्ट (ग) में दिया गया है	13740923.00
संचित निधि से सावधि जमा में निवेशित राशि विवरण परिशिष्ट (घ) में दिया गया है	13826297.00
बचत खातों में जमा राशियों का विवरण	
ऑफरिंग एण्ड डोनेशन खाता परिशिष्ट (ङ) (1)	9800908.85
मन्दिर निधि खाता परिशिष्ट (ङ) (2)	25313.00
गिरावट निधि खाता परिशिष्ट (ङ) (3)	10473.00
संचित निधि खाता परिशिष्ट (ङ) (4)	18348.00
प्रतिभूति निधि खाता परिशिष्ट (5)	866965.00
कुल राशि	**180130556.85**

(iii) मन्दिर न्यास के खातों में दिनांक 31.12.2012 को ₹18,01,30,556.85/– शेष दर्शाई गई है। इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्नित परिशिष्ट–I तथा परिशिष्ट "क" से "ङ" तक यद्यपि अन्तशेष की इस राशि को मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है परन्तु उक्त अन्तशेष से सम्बन्धित विभिन्न सावधि जमा योजना तथा बचत खाते में पड़ी राशियों को सम्बन्धित बैंकों द्वारा सत्यापित नहीं करवाया। अतः अन्तशेष की इन राशियों को सम्बन्धित बैंकों में सत्यापित करवाकर अनुपालना में इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) अंकेक्षण प्रतिवेदन में सलग्न परिशिष्ट (ङ) (1) जिस में ऑफरिंग एण्ड डोनेशन खाते से बचत खातों में जमा राशियो का विवरण दिया गया है का अवलोकन करने पर पाया गया कि

क्रम संख्या 5 के अनुसार ₹778.55/–पी0एन0बी0 मैहरे में जमा दर्शाई गई है। इस राशि को मन्दिर न्यास का अंकेक्षण आरम्भ करने के बारे में यानि वर्ष 2001 से मन्दिर न्यास की वित्तीय स्थिति में दर्शाया जा रहा है जबकि वर्ष 2001 के उपरान्त इस खाते को संचालित ही नहीं किया जा रहा है। इतनी लम्बी अवधि से इस खाते का संचालन न होने के कारण यह खाता बैंक द्वारा बन्द कर दिया गया प्रतीत होता है अन्यथा यदि यह खाता बैंक द्वारा अभी भी चालू रखा होता है तो इस खाते पर बैंक द्वारा अवश्य ही ब्याज लगाया होता। अतः इस सन्दर्भ में बैंक से पत्राचार करके इस खाते को पुनः चालू करवाया जाए ताकि वित्तीय स्थिति में वास्तविक राशि को दर्शाया जा सके अन्यथा मन्दिर न्यास कार्यालय द्वारा इस खाते को संचालित न करने के परिणामस्वरूप उस में जमा राशि तथा ब्याज की हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास खातों में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(v) परिशिष्ट (ङ) (5) में दिये गये विवरण के अनुसार प्रतिभूति निधि खाते में ₹866969/–बचत खाते मे जमा पड़ी है जिस पर बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यदि इस निधि से वास्तविक देनदारियों की राशि बचत खाते में रख कर शेष राशि को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता तो बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की अपेक्षा सावधि जमा पर अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था। अतः इस प्रकरण में से मन्दिर न्यास स्तर पर यथोचित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा योजनाः–

(i) अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्त में संस्था के पास बैकों विभिन्न शाखाओं जिन में कई दूर–दराज स्थानों पर स्थित है में सावधि जमा योजना में कुल ₹169408549/–का निवेश किया गया था। बैंकों की विभिन्न शाखाओं की आपसी दूरी तथा बैंकों व खातों की संख्या के दृष्टिगत इन सावधि जमा खातों का रख–रखाव का कार्य जटिल व पेचिदा बन गया प्रतीत होता है परिणामस्वरूप कई सावधि जमा खातें का नवीकरण भी समय पर नहीं हो पाता जिसके कारण संस्था को नुकसान भी उठाना पड़ता है। अतः सावधि योजना में निवेश को सरल व आसान बनाने के लिए तथा संस्था के हितों के दृष्टिगत केवल नजदीक के बैंकों में ही निवेश करना सुनिश्चित किया जाए और खातों की संख्या को भी व्यवस्थित व योजना बद्ध ढ़ंग से आपस में विलय कर के कम किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

(ii) सावधि जमा योजना से सम्बन्धित ब्याज की 28335/–की हानि के बारे में:–

निम्नविवरणानुसार सावधि जमा योजना में ब्याज की कम प्राप्ति के कारण मन्दिर न्यास की हानि उठानी पड़ी जिसका औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन प्रकरणो में यथोचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

5 (ii) (क)	क्र0सं0	सावधि जमा योजना	राशि	ब्याज दर	परिपक्वता राशि	परिपक्वता दिनांक
	1	068023 19.5.2009	70,00,000	8%	75,77025	19.5.2010
	2	068024 19.5.2009	70,00,000	8%	75,77025	19.5.2010
	3	068025 19.5.2009	70,00,000	8%	75,77025	19.5.2010

संस्था द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार यूकों बैंक की सावधि जमा योजना में दिनांक 19.5.2009 को कुल ₹2,10,00,000 का 8% ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए निवेश किया गया था। संस्था द्वारा पुनः निवेश के दृष्टिगत इस राशि का नवीकरण दिनांक 19.5.2010 को देय था मगर अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा इन निवेंशों का नवीकरण दिनांक 1.6.2010 को 6.5% ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए किया गया परिणामस्वरूप बैंक ने अवधि 19.5.2010 से 1.6.2010 तक 13 दिनों का 3% की दर से ब्याज लगाया गया जिस के कारण संस्था को निम्न विवरणानुसार कुल ₹28,335/–की हानि उठानी थी। यदि इन सावधि जमा का नवीकरण समय पर कर लिया जाता तो इस हानि से बचा जा सकता था। अतः इस प्रकरण में न्यास को हुई हानि का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इस प्रकरण में अपेक्षित ब्याज की वसूली हेतु यह मामला सम्बन्धित बैंक में उठाया जाए तथा अपेक्षित ब्याज की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	सावधि जमा सं0 दिनांक	राशि नवीकृत	13 दिनों की ब्याज राशि		अन्तर
			3%	6.50%	
1	068023 19.5.2009	75,77,025	8096	17541	9445
2	68024 19.5.2009	75,77,025	8096	17541	9445
3	068025 19.5.2009	75,77,025	8096	17541	9445
				कुल राशि	**₹28335**

5 (ii) (ख) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने दिनांक 30.9.2009 को कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक समिति के सावधि जमा खाता संख्या 432322 मे कुल ₹10,66,903/–का 6.50% की ब्याज दर से एक वर्ष के लिए निवेश किया गया मगर बैंक ने इस राशि पर साधारण ब्याज लगाया परिणामस्वरूप कुल ₹1136251/–परिपक्वता के रूप में दिनांक 30.9.2010 को दी जब कि Compound ब्याज से परिपक्वता राशि कुल ₹1137960/–बनती थी इस प्रकार बैंक द्वारा उपरोक्त सावधि जमा खाते में साधारण ब्याज लगाने से कुल ₹1709/–की हानि हुई जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण की जांच करके यह मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए व कम ब्याज की वसूली की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 (ii) (ग) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने पंजाब नैशनल की महारल शाखा में सावधि जमा खाते में जमा ₹653025/–को दिनांक 29.3.2010 को कांगड़ा केन्द्रीय बैंक समिति की बणी शाखा के सावधि जमा खाते में 6.50% की ब्याज दर से निवेश हेतु स्थानांतरण किया गया था मगर कांगड़ा केन्द्रीय बैंक समिति की बणी शाखा ने दिनांक 13.4.2010 को अपने सावधि खाते में निवेश दिखाया गया परिणामस्वरूप अवधि 30.3.2010 से 12.3.2010 तक 14 दिनों का ब्याज नहीं दिया गया। अतः इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए तथा अवधि 14 दिनों का ब्याज जो कि कुल ₹1628/–बनता है की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 सोना एवं चांदी का विवरणः–

मन्दिर न्यास का अंकेक्षणाधीन अवधि में सोना तथा चांदी का विवरण निम्न प्रकार सें रहाः–

सोना एवं चांदी का आय विवरण अवधि 1.1.10 से 31.12.10

(क) सोनाः–

	किलोग्राम	ग्राम	मिलीग्राम
1.1.2010 को अथशेष	16	940	589
वर्ष में प्राप्ति (अशुद्ध सोना)	00	768	500
31.12.2010 को अन्तिम शेष	17	709	089

स्टॉक के अनुसार सोने का विवरणः–

		किलोग्राम	ग्राम	मिलाग्राम
1	पी0एन0बी0 (लॉकर) मैहरे में जमा	09	199	000
2	मन्दिर सैफ में जमा (अशुद्ध सोना)	04	460	960
3	मन्दिर सैफ में जमा (शुद्ध सोना)	00	093	030
4	स्वर्ण ब्रॉण्ड योजना मे ंजमा (शुद्ध सोना)	036	956	099
	अन्तिम शेष	**17**	**709**	**089**

(ख) चांदीः–

	क्विंटल	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
1.1.2010 को अथशेष	01	88	578	200
वर्ष मे प्राप्त अशुद्ध चांदी	00	17	893	000
31.12.2010 को अन्तिम शेष	02	06	471	200

स्टॉक के अनुसार चांदी का विवरणः–

		क्विंटल	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
1	पी0एन0बी0 (लॉकर) मैहरे में जमा शुद्ध चांदी	01	26	286	000
2	मन्दिर सैफ में जमा (अशुद्ध चांदी)	00	80	185	200
	कुल योग	**02**	**06**	**471**	**200**

7 जलपान गृह लेखाः–

(i) अंकेक्षण अवधि 1/2010 से 12/2010 तक जलपान गृह लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट–II "क" तथा "ख" में दिया गया है।

	प्रारम्भिक शेष	4574596.25
	आय	4419339.00
	कुल राशि	8993935.25
	व्यय	3068456.00
	31.12.2010 को अन्तिम शेष	5925479.25
	अन्तिम शेष का विवरणः–	
1	सावधि जमा योजना में निवेश परिशिष्ट –II (ख)	5462534
2	बचत खाते में जमा राशि	462945.25
		5925479.25

(ii) मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त अन्तशेष में दर्शाई गई राशि में सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को तो सत्यापित किया है परन्तु बचत खाते में जमा राशि को सत्यापित नहीं किया है। अतः बचत खाते में जमा शेष को ₹462945.25/—को भी मन्दिर न्यास द्वारा सत्यापित किया जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.10 सावधि जमा योजना तथा बचत खाते में जमा शेष राशियो को सम्बन्धित बैंकों द्वारा भी सत्यापित करवाया जाए।

(iii) अवधि 1/2010 से 12/2010 तक जलपान गृह लेखाओं के बैंक खाता संख्या 20580100000127 जो यूको बैंक दियोट सिद्ध में संचालित किया जा रहा है, से किये गये लेन—देन का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित फर्मों को उन के विरूद्ध दर्शाई गई राशियों हेतु जारी चैकों की clearence के रूप में बैंक द्वारा ₹625/—की कटौती की गई है। अतः इस सन्दर्भ में बैंक से पत्राचार करके न्यास द्वारा जारी चैकों की राशियों पर बैंक खाते से clearence charges काटने का औचित्य स्पष्ट करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

clearence charges काटने की दिनांक	**चैक संख्या दिनांक**	**फर्म का नाम**	**चैक की राशि**	**बैंक, खाते से की गई कटौती**
18.2.2010	892456 11.2.2010	मै0 महिन्द्रा ट्रेडिंग कम्पनी	20,000	75
8.4.2010	892666 30.3.2010	—यथोपरि—	22000	110
16.4.2010	892667 30.3.2010	मै0 परफैक्ट सेल्ज इन्टर प्राईजिज	25200	110
22.4.2010	892671 5.4.2010	मै0 महिन्द्रा ट्रेडिंग कम्पनी	22000	110
11.6.2010	819416 7.6.2010	—यथोपरि—	22000	110
21.8.2010	819438 12.8.2010	मै0 परफैक्ट सेल्ज इन्टर प्राईजिज	25200	110
			कुल राशि	**₹625**

8 मन्दिर न्यास की आय तथा व्यय का गत वर्षों का तुलनात्मक विवरणः—

मन्दिर न्यास की आय तथा व्यय का गत वर्षों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट "III" के अनुसार निम्न प्रकार से दिया गया हैः—

वर्ष	**आय**	**व्यय**
2008	90658413.07	74140356
2009	103718527.96	78273114
2010	107999600.51	102239422

9 कैन्टीन से प्राप्त बिक्री को देरी से जमा करवाने के बारे में:–

संस्था के कैन्टीन से सम्बन्धित निधि लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बिक्री से प्राप्त राशि को बैंक में प्रायः देरी से जमा करवाया गया जिस के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए है। अतः देरी से जमा करवाई गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में बिक्री से प्राप्त राशि को नियमानुसार तुरन्त बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

बिक्री की दिनांक	राशि	बैंक मे जमा करवाने की दिनांक
29.3.10	20055	2.4.2010
30.3.10	19615	
31.3.10	16924	
1.4.10	18953	
2.4.10	25535	5.4.2010
3.4.10	25321	6.4.2010
4.4.10	50172	7.4.2010
5.4.10	29493	
9.4.10	36850	12.4.2010
10.4.10	29304	
12.4.10	25187	
13.4.10	27486	
14.4.10	19649	17.4.2010
15.4.10	15541	
16.4.10	16846	19.4.2010
17.4.10	16195	
19.4.10	13703	23.4.2010
20.4.10	12895	
21.4.10	7673	
22.4.10	6201	26.4.2010
23.4.10	9471	
24.4.10	16274	
26.4.10	14415	
27.4.10	9046	30.4.2010
28.4.10	8418	
29.4.10	5784	3.5.2010
30.4.10	5867	

10 स्थापना शाखा में पाई गई अनियमितताएंः–

(i) मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2010 में स्थापना पर किये गये व्यय व प्राप्त आय की विवेचना करने पर पाया गया कि ₹107999600/–की प्राप्ति आय में से परिशिष्ट–"IV" के अनुसार ₹60629587/–स्थापना पर व्यय की गई है जो कुल आय का 56% भाग बनता है। मन्दिर न्यास द्वारा इस मुद्दे को गम्भीरता से लिये जाने की आवश्यकता है तथा इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा गठित High Power committee की सिफरिशों की गम्भीरता पूर्वक अनुपालना करना अपेक्षित है अन्यथा श्रद्धालुओं द्वारा दिये गये धन का उपयोग उन्हें बेहतर सुविधाऐं प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

(ii) मन्दिर न्यास में कार्यरत लंगर सहायकों व सफाई कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों को 1.1.1996 से संशोधित वेतनमानों के अनुसार उनकी नियमितीकरण की तिथियों से अलग–2 वेतनमान दिये गये है जबकि नियमानुसार समान पद पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को समान वेतनमान दिया जाना अपेक्षित है। कुछ कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

लंगर सहायकः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	नियमित करने की दिनांक	दिया गया वेतनमान
1	केहर सिंह	1.2.2001	2520–4140
2	केवल सिंह	1.2.2001	2520–4140
3	सरवन कुमार	1.2.2001	2520–4140
4	बलवीर सिंह	1.2.2001	2520–4140
5	बॉकु राम	1.2.2001	2520–4140
6	मस्कीन मुहम्मद	1.2.2001	2520–4140
7	विजय कुमार	1.2.2001	2520–4140
8	हेम राज	1.8.2003	2520–4140
9	हंसराज	9.7.2003	2720–4260
10	प्रकाश चन्द	12.8.2003	2520–4140
11	बलदेव	1.1.2001	2520–4140
12	पैशु राम	1.1.1993	2720–4260
13	नरोत्तम	1.1.1993	2720–4260
14	सुरजीत	1.1.1993	2720–4260
15	बालक राम	1.1.1993	2720–4260

अतः एक समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों को अलग–2 वेतनमान जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) श्री ओम प्रकाश (चालक) की सेवा पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी का मूलवेतन 1.10.2005 को ₹3330/– था तथा 1.1.2006 से संशोधित वेतमानों में (1.1.2006) को पुराना मूल वेतन ₹3220/–मान कर वेतन निर्धारित किया है। संशोधित वेतनमानों में इस कर्मचारी के कम वेतन पर वेतन निर्धारित करने बारे कोई स्पष्टीकरण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः निम्न विवरणानुसार कम निर्धारित वेतन का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

1.1.2006 (1.10.05) को मूल वेतन	**सेवा पजिका अनुसार ₹330/–पर वेंतन निर्धारित किया जाना था**	**वास्तव में मूल वेतन ₹3220/– पर निर्धारित किया गया वेतन**	**अन्तर**
संशोधित वेतन मान में वेतन निर्धारण	P.B.+G.P. 8140	P.B.+G.P. 7890	250
अगली वेतनवृद्धि की तारीख	8390	8130	260
1.10.2007	8650	8380	270
1.10.2008	8910	8640	270
1.10.2009	9180	8900	280
1.10.2010	9460	9170	290

(iv) श्री सुरेन्द्र नाथ (सेवादार) की सेवा पंजिका व 1.1.2006 से संशोधित वेतनमानों की वेतन निर्धारण तालिका की विवेचना करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया।

1.1.2005 को मूल वेतन	4140
31.12.2005 को मूल वेतन	4140
1.1.2006 को मूल वेतन	4260
Fitment Table No.2 के अनुसार ₹4260/–पर 1.1.06 को वेतन निर्धारण	P.B. 7990+G.P. 1400=9390

लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा गलती से 1.1.2006 को मूल वेतन ₹4260/–पर ₹9330/–निर्धारित करके 1.1.2006 से 3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि देकर अवधि 1.1.2006 से 31.10.2011 तक ₹21520/–का अधिक भुगतान किया गया जिस का विवरण परिशिष्ट (v) तक में दिया गया है।

(v) श्री बाबा बालक नाथ वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चकमोह मे निम्नलिखित कर्मचारियों की अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति की गई। अनुबन्ध की शर्त संख्या 8 के अनुसार इन कर्मचारियों को सेवा नियम जैसे FR, SR, Leave Rules, EPF व पैन्सन नियम लागू नहीं होंगे लेकिन संस्था द्वारा इन कर्मचारियों के मासिक वेतन से ₹780/–EPF के रूप में कटौती करके नियोक्ता की तरफ से भी ₹780/–का अंशदान दिया गया है। उक्त अनुबन्ध की शर्तों को नजरन्दाज करके न्यास निधियों से निम्नविवरणानुसार ₹35880/–का अनुचित भुगतान किया गया है जिस का औचित्य अनुबन्ध की शर्त संख्या 8 के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा गलती से किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास खातों मे जमा करवाई जाए।

(क) श्री जोगिन्द्र पाल S/O श्री प्रेमदास VPO. मगनोटी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर
प्रवक्ता अंग्रेजी
जिस दिन से EPF का अंशदान दिया गया 23.12.2009
अवधि 1.1.10 से 1.11.2011 तक दिया गया कुल अंशदान 23 माह x780=₹17940

(ख) श्रीमति शुकर्मा देवी सुपुत्री श्री रवि दत VPO बिझड़ी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर
जिस दिन से EPF का अंशदान दिया गया 23.12.2009
अवधि 1.1.10 से 1.11.2011 तक दिया गया कुल अंशदान 23 माह x780=₹17940
कुल योग (क+ख)=₹35880/–

(vi) बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध द्वारा संचालित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चकमोह में कार्यरत्त श्री कर्मसिंह की नियुक्ति कार्यालय आदेश संख्या 620/TC/801 दिनांक 6.3.2000 द्वारा लाईब्रेरी सहायक के पद पर 2720–4260 के वेतनमान पर की गई लेकिन उप–मण्डलाधिकारी (नागरिक) एवं अध्यक्ष बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध के पत्र संख्या 612–614/TA/एस0डी0बी0 दिनांक 31.5.2001 द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का पदनाम लाईब्रेरी सहायक से बदल कर सेवादार (Peon) कर दिया गया लेकिन सम्बन्धित अभिलेख मे यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कर्मचारी का पदनाम किस आधार पर किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारी का पदनाम बदले जाने के परिणामस्वरूप वेतनमान भी बदले गये पदनाम की श्रेणी के अनुसार दिया जाना अपेक्षित था चूंकि सेवादार के पद पर देय वेतनमान ₹2620–₹4140/–था तथा 1.1.2006 से संशोधित वेतनमान में भी वेतन तदानुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित आगामी था। अतः इस प्रकरण में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(vii) मन्दिर अधिकारी के खाते से मास 4/2010 में चैक संख्या 819218 दिनांक 6.4.2010 द्वारा श्री विधि चन्द सेवानिवृत अधीक्षक को संशोधित वेतनमान अवधि 1/2006 से 4/2006 की बकाया ₹17891/–का भुगतान किया गया जिससे सम्बन्धित वेंतन निर्धारित विवरणिका तथा

सेवा पंजिका अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में भुगतान की राशि को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(viii) श्री उत्तम सिंह ठाकुर, प्रवक्ता गणित जिनकी शैक्षणिक योग्यता एम0फिल0 है तथा जिनकी प्रथम नियुक्ति मन्दिर न्यास संचालित महाविद्यालय में की दिनांक 22.12.1992 है उनकी सेवा पंजिका व परिशिष्ट (vi) में दर्शाए गए UGC द्वारा समय–2 जारी किए गए पदोन्नति नियमों का अवलोकन करने पर पाया गया कि 1.1.86 के संशोधित वेतनमानों के अनुसार उपरोक्त श्रेणी के प्रवक्ता को प्रवर वेतनमान (Senior Scale) प्रवक्ता के पद पर लगातार 7 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त दिये जाने का प्रावधान था जो कि 1.12.99 को सही समय पर दिया गया। तदोपरान्त 1.1.96 से संशोधित वेतनमान के अनुसार प्रवर वेतनमान पर लागातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर उपरोक्त श्रेणी के प्रवक्ता प्रवरण वेतनमान (Selection Scale) के लिए पात्र थे जो इस सन्दर्भ में दिनांक 22.12.2004 सें देय था लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा 22.12.2002 को वेतन निर्धारित अवधि से 2 वर्ष पूर्व प्रवरण वेतनमान दिया गया। इसके अतिरिक्त 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमानों के अनुसार प्रवरण वेतनमान पर लगातार 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त PB-4 (37400-67000+9000GP) का वेतनमान 22.12.2007 को दिया जाना था जबकि यह वेतन मान 1.1.2006 से दिया गया है। उपरोक्त प्रवक्ता को प्रवरण वेतनमान व PB-4 में 2 वर्ष पूर्व में स्थापन करने का औचित्य UGC द्वारा बनाए गये नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा दिये गये वेतनमान का पुनः निर्धारण कर के की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ix) श्री रोशन लाल प्रवक्ता समाजशास्त्र जिनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1.12.1994 के समय शैक्षणिक योग्यता एम फिल थी तथा जिन्होने 24.4.1995 की पी0एच0डी0 की योग्यता प्राप्त की, उनकी सेवा पंजिका व वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अन्य अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि UGC द्वारा प्रवर वेतनमान जारी करने के लिए प्रवक्ता की M.Phil. योग्यता होने पर 7 वर्ष या Ph.D की उपाधि हासिल करने पर 5 वर्ष का कार्यकाल बतौर प्रवक्ता पूर्ण किये का प्रावधान किया था लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त प्रवक्ता को 1.12.99 से प्रवर वेतनमान जारी किया है जबकि Ph.D करने की तिथि से प्रवर वेतनमान 24.4.2000 से दिया जाना अपेक्षित था जो 4 मास 24 दिन पहले दिया गया है। इसी तरह प्रवर वेतनमान (Selection Scale) प्रवर वेतनमान (Senior Scale) पर लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त 24.4.2005 को देय था जो कि 1.12.2003 को दिया गया हैं अतः समय से पूर्ण वेतनमान जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा विश्व–विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–2 पर निर्धारित समय सीमा के अनुसार वेतन निर्धारित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(x) श्रीमति सुलेखा शर्मा (प्रवक्ता राजनीति शास्त्र.) जिनकी एम0फिल0 करने की डिग्री की तारीख 1.4.1995 थी उनको UGC द्वारा 1.1.1986 से संशोधित वेतनमानों के अनुसार प्रवर वेतनमान प्रवक्ता पद पर लगातार 7 वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने के उपरान्त 1.4.2002 से देय बनता था तथा 1.1.96 से संशोधित वेतमानों के अनुसार एम0फिल0 धारक प्रवक्ताओं को प्रवर वेतनमान पर लागातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त प्रवरण वेतनमान (Selection Scale) में दिनांक 1.4.2007 से उपरोक्त प्रवक्ता की पात्र बनती थी, जबकि उनकी सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि न्यास द्वारा श्रीमति सुलेखा शर्मा को 1.1.2006 से प्रवक्ता पद का वेतनमान 15600–39100+6000(GP) दिया गया तथा दिनांक 23.72008 से न्यास कार्यालय के पत्र संख्या 902–90 / TA-I/8013 / 2008 व 906–909 / TA/8003 / 2008 दिनांक 14.9.2008 के द्वारा 15600–39100+8000 (GP) का प्रवरण वेतनमान दिया गया। अतः विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–2 पर उच्च वेतनमान देने हेतु निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपरोक्त प्रवक्ता का वेतनमान निर्धारित न करके प्रवक्ता पद पर प्रवरण वेतनमान में निर्धारित दिनांक 23.7.2008 से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(xi) श्री सुरेश चन्द शर्मा, प्राचार्य, महाविद्यालय चकमोह की सेवा पंजिका दिनांक 1.3.2006 के उपरान्त पूर्ण नहीं की गई है जिसे पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाए।

(xii) श्री राजीव संख्यान (DPE) कि सेवा पंजिका दिनांक 8.7.2003 के उपरान्त पूर्ण नहीं की है जिसे पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(xiii) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय चकमोह के अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 1.1.2010 से 31.12.10 तक का Establishment Check Register पूर्ण नही किया जिसे पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाए।

11 आय पक्षः–

(i) अंकेक्षण मे पाया गया कि संस्था द्वारा रसीद संख्या 2176 दिनांक 8.4.2010 के अन्तर्गत दान में 150 कि0ग्रा0 चीनी प्राप्त की गई थी मगर चालान संख्या 3530 दिनांक 9.4.2010 में उक्त रसीद के अन्तर्गत केवल 50 कि0ग्रा0 चीनी ही दर्शाई गई इस प्रकार कुल 100कि0ग्रा0 चीनी कम दर्शाई गई। अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति उठाने पर संस्था ने सम्बन्धित कर्मचारी से बाजार मूल्य के आधार पर ₹3150 / –को वसूल करके दिनांक 10.1.2012 को जमा करवा दिया गया जिस की सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार चूक को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(ii) अंकेक्षण मे पाया गया कि संस्था द्वारा रसीद संख्या 40 दिनांक 12.4.2010 के अन्तर्गत दान में 150 कि0ग्रा0 गेहूं का आटा प्राप्त किया गया था मगर सम्बन्धित चालान संख्या 0910 दिनांक 13.4.2010 में उक्त रसीद के अन्तर्गत केवल 50 कि0ग्रा0 गेहूं का आटा प्राप्त हुआ दर्शाया गया

था। इस प्रकार कुल 100 कि0 ग्रा0 गेहूं का आटा कम दर्शाया गया। अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति उठाने पर संस्था द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी से बाजार मूल्य के आधार पर ₹1200/–करके दिनांक 10.1.2012 को जमा करवा दी गई जिस की सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की चूक को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(iii) अंकेक्षण मे पाया गया कि संस्था ने रसीद संख्या 1755 दिनांक 26.4.2010 ने रसीद संख्या 1755 दिनांक 26.4.2010 में ₹325/–के स्टील के बर्तनो की बिक्री की गई थी मगर वसूली केवल ₹225/–की गई थी। इस प्रकार कुल ₹100/–की कम वसूली की गई थी। अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति उठाने पर इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके रसीद संख्या 24268 दिनांक 29.11.2011 द्वारा जमा करवा दिया गया जिस की सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की चूक की पुनःवृति को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

12 रोगी वाहन एचपी0 21ए–3711:–

संस्था के कार्यालय आदेश संख्या 2147/ट व न म/गाड़ी स्टोर/2010 दिनांक 7.9.2010 द्वारा रोगी वाहन एच0पी0 21ए–3711 को PGI चण्डीगढ़ में रोगी का मैडिकल चेक अप हेतु ले जाने व वापिस लाने के लिए भेजा गया था तदानुसार रोगी वाहन एच0पी0 21ए–3711 लॉग बुक के अनुसार दिनांक 7.9.2010 को 300 कि0मी0 व दिनांक 8.9.2010 को 282 कि0मी0 की यात्रा दर्शाई गई थी। इस प्रकार रोगी वाहन द्वारा PGI चण्डीगढ़ जाने व वापिस आने के लिए कुल 582 कि0मी0 की दूरी तय की थी। अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया कि इस यात्रा से सम्बन्धित बिल में कुल 409 कि0मी0 की यात्रा दर्शायी गई तदानुसार ₹8 प्रति कि0मी0 की दर से कुल ₹3272/–की वसूली की गई थी जब कि सम्बन्धित लॉग बुक के अनुसार 582 कि0मी0 की यात्रा के लिए ₹8 प्रति कि0मी0 दर से कुल ₹4656/–की वसूली अपेक्षित थी परिणामस्वरूप ₹1384/–की कम वसूली की गई थी। अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति उठाने पर संस्था द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी से ₹1384/–को वसूल करके दिनांक 17.1.2012 को जमा करवा दिया गया जिसकी सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण की पुनःवृति को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

13 दान खाता में किए गए भुगतान के बारे में:–

(i) मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 22.4.2010 को चैक संख्या 819362 द्वारा ₹10305/–का भुगतान दूरभाष बिलों के सन्दर्भ में किया गया जबकि सलंग्न बिलों का कुल योग ₹10285/–बनता था। इस प्रकार ₹20/– का अधिक भुगतान किया गया। अतः ₹20/–के अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास खातों में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आपूर्ति निगम से लंगर हेतु खरीदी गई खाद्य सामग्री से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निगम द्वारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित बिलों के इन्द्राज करते समय खरीदी गई सामग्री की मात्रा व किस्म का सत्यापन मन्दिर न्यास के किसी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। अतः भविष्य में अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि कमेटी का गठन करके प्रत्येक खरीदी गई सामग्री का भौतिक सत्यापन करवाकर प्रमाणित करवाया जाए कि बिल में अंकित मात्रा व किस्म सही पाई गई तथा तदानुसार ही स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

(iii) ₹3480/– का भुगतान पी0डब्लयू0डी0 दियोट सिद्ध के तीन सैट निम्नलिखित अवधि के लिए किराये पर लेने के सन्दर्भ में किया गया।

सैट नं0	**अवधि**	**कुल दिन**	**भुगतान की गई राशि**
1	12.3.10 से 31.3.10	20	₹1200
2	13.3.10 से 31.3.10	19	₹1140
3	13.3.10 से 31.3.10	19	₹1140
		कुल जोड़	**₹3480**

बिल का अवलोकन करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) वर्ष 2010 में वार्षिक चैत्र मेला 14 मार्च 2010 से आरम्भ था जबकि लोक निर्माण विभाग का आवास गृह का सैट सं0 1, दिनांक 12.3.2010, सैट सं0 2 व 3, दिनांक 13.3.2010 से आरक्षित करके भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 14.3.2010 से पहले आवास गृह की बुकिंग पर किये गये खर्च की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास खाते मे ंजमा करवाई जाए।

(ख) उपरोक्त भुगतान के समर्थन में लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी विभागीय रसीद प्रस्तुत नहीं की गई। अतः भुगतान की गई राशि की रसीद प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

(iv) मन्दिर न्यास द्वारा बिजली का मन्दिर संख्या DDC-12 यूको बैंक शाखा दियोट सिद्ध के संचालन हेतु दिये गये कमरों में स्थापित किया गया दर्शाया है उससे सम्बन्धित बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा बिना किराये के कमरों यूको बैंक को उपलब्ध करवाऐ है। इसके अतिरिक्त बिजली बिलों का भुगतान भी मन्दिर न्यास कर रहा है जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। अतः निम्न विवरणानुसार वर्ष 2010 में ₹910/–के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली बैंक से करके मन्दिर न्यास खातों में जमा करवा कर अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

बिल संख्या	**दिनांक**	**भुगतान की गई राशि**

07943	17.3.2010	₹144
092358	21.4.2010	₹72
00669955	22.5.10	₹72
00788355	22.6.10	₹72
00002351	20.8.10	₹550
	कुल राशि	**₹910**

(v) दिनांक 28.3.2010 को मै0 वशिष्ठ इलैक्ट्रोनिक्स एवं इलैक्ट्रिकल वर्कस हमीरपुर को उनके बिल संख्या 1788 द्वारा UHC-30XT Speakers 6 No.@ ₹1475/– की दर से ₹8850/–क्रय करने हेतु भुगतान किया। इन भुगतान वाऊचरों को अवलोकन करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) उपरोक्त फर्म AHUJA MAKE PRODUCT बेचने के लिए एकाधिकार में थी लेकिन AHUJA Company की उक्त मद की दर सूचि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिस के अभाव मे किये गये भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त फर्म से उक्त मद की दर सूचि प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

(ख) स्टॉक रजिस्टर नं0 1, पार्ट–5 के पृष्ठ 369 पर 3 नं0 Unit Speakers रघुवीर चन्द को चरण पादुका सराय नं0 4 पर लगाने हेतु जारी किये गये दर्शाये है लेकिन इन स्थानों हेतु नये स्पीकर जारी करने हेतु पूर्व में जारी किये गये स्पकीरों बारे में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या वे चालू हालत में थे या खराब होने पर वापिस स्टोर में जमा करवा दिये गये है। अतः वांन्छित अभिलेख को अनुपालना सहित आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(vi) वर्ष 2010 मे मेला अवधि 14.3.10 से 13.4.10 के दौरान संचार वयवस्था स्थापित करने हेतु टाटा इन्डीकॉम कम्पनी से मोबाईल सैट नं0ः– 9218402356, 9218402358, 9218403073, 9218403085, 9218403103, 9218403086 तथा 9218403104 पोस्ट पेड (Post Paid) आधार पर प्रयोग किये गये जिन्हें मेला अवधि से पूर्व व बाद में प्रयोग करके निम्नविवरणानुसार किराये के रूप में ₹15598/–का भुगतान किया गया। अतः इन मोबाईल सैटों पर मेला अवधि से पूर्व व बाद में प्रयोग करके अवधि 1/10 से 9/10 तक किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

किराये के रूप में प्रतिमाह किये गये भुगतान का विवरणः—

1/2010	₹222.88
2/2010	₹732.00
3/2010	₹4904.00
4/2010	₹4614.00
5/2010	₹1026.00
6/2010	₹1993.00
7/2010	₹1225.00
8/2010	₹704.00
9/2010	₹177.00
कुल राशि	**₹15598.00**

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित मन्दिर अधिकारियो एवं कर्मचारियों को मोबाईल रिचार्ज हेतु ₹1500/—का भुगतान किया गया, जिनका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

1	सहायक मन्दिर अधिकारी	₹500
2	प्रोटोको मन्दिर कार्यालय	₹500
3	अशुलिपिक मन्दिर कार्यालय	₹500

14 मन्दिर अधिकारी खातों मे किए गए भुगतान के बारे में:—

(i) दिनांक 6.4.2010 को ₹800/—का भुगतान श्री राजेन्द्र कुमार (स्टेनो टाईपिस्ट) जो वर्तमान में अध्यक्ष एवं उप—मण्डलाधिकारी (नागरिक) बड़सर के कार्यालय में कार्यरत्त है, को उनके यात्रा भत्ता बिल मास 3/2010 के सन्दर्भ में किया गया। उपरोक्त बिल अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों को उक्त कर्मचारी द्वारा उप—मण्डलाधिकारी (नागरिक) के कार्यालय से महत्व पूर्ण डाक मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध कार्यालय में छोड़ने के एवज में बस किराये हेतु यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत किया है मगर मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध कार्यालय के डाक प्राप्ति रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया बिल में दर्शाई गई अधिकतर तिथियों को मन्दिर न्यास कार्यालय में कोई डाक प्राप्त ही नहीं की गई थी। अतः इस तिथियों को बस किराये का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹550/—' की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके मन्दिर न्यास खाते मे जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मासों में इस सन्दर्भ में किये गये भुगतान की छानबीन अपने स्तर पर करके उचित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

दिनांक जिन के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया लेकिन डाक प्राप्त नही हुई थी	बस किराये के रूप में भुगतान
3.3.2010	50
6.3.2010	50
7.3.2010	50
10.3.2010	50
16.3.2010	50
17.3.2010	50
19.3.2010	50
23.3.2010	50
25.3.2010	50
30.3.2010	50
31.3.2010	50
कुल राशि	**₹550**

(ii) दिनांक 18.2.2010 को उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक की मद संख्या के अनुसार अवधि 14.3.2010 से 13.4.2010 तक चैत्र मेला के दौरान बाबा बालक नाथ मन्दिर परिसर में संख्या एवं कानून व्यवस्था बनाऐ रखने के लिए 70 गृहरक्षको की तैनाती अनुमोदित की गई थी जबकि इसके विपरीत अवधि 12.3.2010 से 31.3.2010 तक 81 गृह रक्षकों की तेनाती करके मन्दिर न्यास द्वारा भुगतान किया गया तथा अवधि 1.4.10 से 30.4.10 तक 86 गृह रक्षकों की तैनाती करके भुगतान किया गया, लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा अधिक लगाए गये गृहरक्षकों की तेनाती को सक्षम अधकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित नहीं करवाया गया। अतः अधिक तैनात किये गये गृहरक्षकों को भुगतान की गई राशि को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवा कर आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(iii) निम्नलिखित बिजली के मीटरों को कटवाने पर बिजली बोर्ड द्वारा दिये गये बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि गत मासों में इन मीटरों की बिलिंग औसतन आधार पर ₹72/–की जाती थी लेकिन इनके अन्तिम बिल ₹550/–प्रति मीटर की दर से दिये गये परन्तु बिलों में ओवर बिलिंग के स्पष्ट कारणों का हवाला न दिए जाने के कारण इन भुगतानों को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः इस सन्दर्भ मे बिजली बोर्ड से अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त करके भुगतान की गई राशि की सत्यापना आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

मीटर सं0	बिल सं0	भुगतान की गई राशि
DDC-10	0002350 20.8.2010	₹550
DDC-12	0002351 20.8.2010	₹550

15 उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर व उप मण्डलाधिकारी (ना0) बड़सर को दिये गये अग्रिमों का अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

मन्दिर न्यास कार्यालय द्वारा अवधि 1/2010 सें 12/2010 तक उपरोक्त कार्यालयों को जारी अग्रिमों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए तथा न ही गत वर्षो में जारी की गई अग्रिम राशियों के समायोजन लेखे अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इस सन्दर्भ में लाखों रूपये की राशि असमायोजित पड़ी हैं अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन कार्यालयों को दिये गये अग्रिमों के समायोजन हेतु परामर्श दिया गया लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा असमायोजित अग्रिमों बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः उक्त प्रकरण को उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि सम्बन्धित कार्यालय को शीध्र उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए जाए।

16 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा मन्दिर न्यास में की गई ₹546256/–की वसूली के बारे में:–

मन्दिर न्यास निधियों से वर्ष 2009 में अवधि 1.3.98 से 20.4.2008 के मध्य दैनिक वेतन आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की ई0पी0एफ0 की ₹3777579/–जिसमें नियोक्ता व कर्मचारियों का अंशदान भी शामिल था, की जबरन वसूली सहायक आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय–9 द्वारा की गई जिस में मन्दिर न्यास के ऐसे कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 व नियोक्ता का अंशदान शामिल है जो वर्ष 2009 से पूर्व या तो न्यास की सेवाएं छोड़ चुके थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। अतः मन्दिर न्यास प्रशासन द्वारा उपरोक्त संगठन को उपलब्ध करवाए गये अभिलेख में ऐसे भूतपूर्व कर्मचारियों के नाम सम्मिलित नहीं करने चाहिए थे। ई0पी0एफ0 संगठन को गलत अभिलेख प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप मन्दिर न्यास खाते से निम्नविवरणानुसार ₹546256/–की (कर्मचारी+नियोक्ता का अंशदान) वसूली अधिकांश ऐसे कर्मचारियों से सम्बन्धित है। इस प्रकार से अधिकांश राशि ई0पी0एफ0 संगठन के खातों में बेदावी पड़ी रहेगी जिस की मन्दिर न्यास को प्रत्यक्ष हानि हुई है।

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि यदि मन्दिर न्यास प्रशासन अनावश्यक औपचारिकताओं में न पड़ कर समय पर उचित कार्रवाई की होती तो इस हानि से बचा जा सकता था। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया की यदि सहायक आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के आदेश संख्या RO-Sml-Comp-hp-1642/21136 दिनांक 193.2009 जिस में मन्दिर न्यास में दैनिकी आधार पर अवधि 1.3.98 से 20.4.2008 तक कार्यरत कर्मचारियों के व नियोक्ता के ई0पी0एफ0 अंशदान की ₹3777579/–को 15 दिन के भीतर जमा करवाने बारे पारित किये गये थे, के विरूद्ध यथासमय Appellate Tribunal (Procedure Rules) 1997 के पैरा 7 (1) में किये गये प्रावधानानुसार रजिस्ट्रार प्राधिकरण न्यायालय दिल्ली में अपील दायर की होती तो उक्त अधिनियम की धारा 7 (ओ) जिस में उचित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण कर्मचारियों व नियोक्ता के ई0पी0एफ0 अंशदान का अधिक आंकलन हुआ हो तो उस पर पुर्न–विचार अपील दायर करके सुनवाई करवाई जा सकती थी लेकिन ऐसा न करके मन्दिर न्यास प्रशासन द्वारा दिनांक 23.4.09

को सहायक आयुक्त भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के कार्यालय में पुर्न–विचार अपील दायर की जिसे उपरोक्त प्राधिकारी द्वारा दिनांक 1.5.2009 को अस्वीकार कर दिया और मन्दिर न्यास खातों से ₹3777579/–की जबरन वसूली कर ली गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस पूरे प्रकरण में आवश्यक छानबीन करके कोताही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा ई0पी0एफ0 संगठन के पास जमा पडी ऐसी राशि की वसूली ब्याज सहित वापिस लेने हेतु कारगर पग उठाए जाए।

EST Code	ENP No.	कर्मचारी का नाम	नियोक्ता का कुल अंशदान	कर्मचारी का कुल अंशदान	कुल राशि	न्यास की सेवा छोड़ने के कारण
1642	138	श्री मस्त राम	6491	6491	12982	2001 में मृत्यु
1642	150	श्री दुर्गा दास	6433	6433	12866	2007 मे सेवा निवृत
1642	158	श्री अश्लाम मुहम्मद	4169	4169	8338	2001 में मुत्यु
1642	168	श्री कश्मीर सिंह	18112	18112	36224	2008 में त्याअ पत्र
1642	175	श्री सन्तराम	6143	6143	12286	2001 में मृत्यु
1642	176	श्री रूप सिंह	6193	6193	12386	2008 मे सेवा निवृत
1642	193	श्री जैसी राम	11744	11744	23488	2007 मे सेवा निवृत
1642	197	श्री जसवन्त सिंह	11981	11981	23962	2007 में मृत्यु
1642	255	श्री ज्ञान सिंह	30177	30177	60354	2007 में त्यापत्र
1642	256	श्री हरि चन्द	155	155	310	2008 मे सेवा निवृत
1642	257	श्री राम सिंह	6569	6569	13138	2001 मे सेवा निवृत
1642	258	श्री जुल्फी राम	15220	15220	30440	2005 मे सेवा निवृत
1642	259	श्री कुलदीप चन्द	1327	1327	2654	1999 में त्याग पत्र
1642	260	री बहादुर चन्द	1656	1656	3312	–यथोपरि–
1642	261	श्री बलवीर सिंह	1654	1654	3308	2000 में त्याग पत्र
1642	262	श्री अमर नाथ	1701	1701	3402	–यथोपरि–
1642	263	श्री सुरेश कुमार	1391	1391	2782	1999 में त्याग पत्र
1642	264	श्री रतन चन्द	994	994	1988	–यथोपरि–
1642	265	श्री अनिल कुमार	1635	1635	3270	–यथोपरि–
1642	267	श्री राजेन्द्र कुमार	15518	15518	31036	2002 में त्याग पत्र
1642	268	आश्रु राम	1152	1152	2304	1999 में त्याग पत्र
1642	269	श्री परस राम	7553	7553	15106	2007 मे मृत्यु
1642	270	श्री सतीश कुमार	1094	1094	2188	1999 में त्याग पत्र
1642	271	श्री विधि चन्द	930	930	1860	–यथोपरि–
1642	272	श्री ईश्वर सिंह	598	598	1196	–यथोपरि–
1642	273	श्री सोहन लाल	3878	3878	7756	2001 में त्याग पत्र

1642	274	श्री तुलसी राम	680	680	1360	2004 में सेवानिवृत
1642	275	श्री हंस राज	922	922	1844	2001 में त्याग पत्र
1642	276	श्री बलवीर सिंह	680	680	1360	1999 में त्याग पत्र
1642	277	श्री राजनिश कुमार	13617	13617	27234	2004 में त्याग पत्र
1642	278	श्री परमा राम	870	870	1740	2002 में त्याग पत्र
1642	279	श्री राजेश शर्मा	680	680	1360	1999 में त्याग पत्र
1642	280	श्री जग्ननाथ	592	592	1184	–यथोपरि–
1642	281	श्री मोहिन्द्र सिंह	682	680	1360	–यथोपरि–
1642	282	श्री अशोक कुमार	680	680	1360	–यथोपरि–
1642	283	श्री सुशील कमार	528	528	1056	–यथोपरि–
1642	284	श्री जगवीर सिंह	14005	14005	28010	2008 में त्याग पत्र
1642	285	श्री कमल देव	680	680	1360	1999 में त्याग पत्र
1642	286	श्री अश्वनी कुमार	680	680	1360	–यथोपरि–
1642	287	श्री त्रिभुल देव	1274	1274	2548	2000 में त्याग पत्र
1642	288	श्री जगदीश चन्द	680	680	1360	1999 में त्याग पत्र
1642	289	श्री होशियार सिंह	372	372	744	–यथोपरि–
1642	290	श्री सीता राम	680	680	1360	1999 में त्याग पत्र
1642	291	श्री दिल बाग सिंह	416	416	832	–यथोपरि–
1642	292	श्री राकेश कुमार	728	728	1456	–यथोपरि–
1642	293	श्री वतन सिंह	651	651	1302	–यथोपरि–
1642	294	श्री सुशील कुमार	680	680	1360	–यथोपरि–
1642	295	श्री राजेन्द्र सिंह	490	490	980	–यथोपरि–
1642	296	श्री जगत राम	654	654	1308	–यथोपरि–
1642	297	श्री राजेन्द्र पाल	7459	7459	14918	2007 मे त्याग पत्र
1642	298	श्री सुरेश कुमार	660	660	1320	1999 में त्याग पत्र
1642	299	श्री लेख राम	606	606	1212	–यथोपरि–
1642	300	श्री शेर सिंह	680	680	1360	–यथोपरि–
1642	301	श्री जगदीश चन्द	628	628	1256	2000 में त्याग पत्र
1642	302	श्री प्रेम लाल	648	648	1296	1999 में त्याग पत्र
1642	303	श्री लेख राम	522	522	1044	–यथोपरि–
1642	304	श्री अनूप कमार	12099	12099	24198	2005 में त्याग पत्र
1642	605	श्री दिनेश चन्द	42469	42469	84938	2008 में त्याग पत्र
1642	17	श्री रीखी राम	970	970	1940	1999 में त्याग पत्र
				योग	**546256**	

17 विभिन्न संस्थाओं द्वारा मुद्रित पत्रिकाओं तथा अन्य उत्सवों में किए गए विज्ञापनों पर किए गए ₹673000/— के अनुचित व्यय के बारे में:—

मन्दिर न्यास निधियों से विज्ञापन पर किये गये व्यय का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2010 में परिशिष्ट (vii) के अनुसार विज्ञापन पर खर्च की गई कुल ₹865925/—में से ₹673000/—विभिन्न संस्थाओं द्वारा मुद्रित पत्रिकाओं तथा अन्य उत्सवों में विज्ञापन देने हेतु व्यय की गई है। यह व्यय सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप नहीं किया गया है क्योंकि व्यय की गई राशि से न तो किसी पात्र समुदाय विशेष का उत्थान हुआ है और न ही श्रद्धालुओं के हित में इन राशियों का उपयोग किया गया है जबकि मन्दिर न्यास प्रशासन को दानियों द्वारा दान की गई राशि के संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए खर्च भी विवेकतापूर्वक करना चाहिए था। अतः भविष्य में अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि इस प्रकार निरर्थक व्यय की गई राशि पर अंकुश लगाया जाए ताकि निरर्थक व्यय की जाने वाली राशि को श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाये प्रदान करने एवं मन्दिर न्यास में अन्य विकासात्मक योजनाओं पर खर्च किया जा सके।

18 यात्री निवास शाहतलाई रोड, सेऊ की खरीद से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में:—

मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त यात्रा निवास खरीदने के लिए, निदेशक पर्यटन एण्ड सिविल ऐवियेशन विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को ₹1,90,55,977/—का भुगतान चैक संख्या 819214 दिनांक 2.4.2010 के द्वारा किया गय तथा इसके अतिरिक्त ₹935400/—का व्यय पंजीकरण पर दिया गयां। पर्यटन विभाग को विभिन्न मदों पर किये गये भुगतान का विवरण निम्नलिखित है।

1	Value of Buildup Area	₹1,29,58000/—
2	Value of Land	₹57,50,000/—
3	Value of furniture & Fixture	₹347977/—

इस रसीद के प्रकरण अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई:—

(i) यात्री निवास के Build up Area के मूल्य निर्धारण ₹1,29,58,000/—से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत न करना:—

मन्दिर न्यास द्वारा Build up Area मद के सन्दर्भ में ₹1,29,58,000/—का भुगतान किया गया लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित वर्गीकृत दस्तावेज अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इस सम्पत्ति को Book Value पर खरीदा गया है या मूल्य ह्रास प्रभार काट कर Depreciated Value पर खरीदा गया है या अन्य किसी निर्धारित मूल्य पर खरीदा गया है। इस सन्दर्भ में

पर्यटन विभाग से मूल्य निर्धारण सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

(ii) यात्री निवास में स्थापित furniture & Fixture के मूल्य निर्धारण ₹347977/—के अभिलेख प्रस्तुत न करनाः—

उपरोक्त के अतिरिक्त इस यात्री निवासी के पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित furniture & Fixture के क्रय हेतु ₹347977/—का भुगतान किया गया है। इससे सम्बन्धित मूल्य निर्धारण अभिलेख भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिसे पर्यटन विभाग से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाए।

(iii) यात्री निवास की खरीद के पश्चात माह 7/10 से 12/10 तक ₹322493/—की वित्तीय हानिः—

पर्यटन विभाग से खरीदे गये यात्री निवास का संचालन अब मन्दिर न्यास द्वारा किया जा रहा है। मन्दिर न्यास द्वारा यात्री निवास को माह 7/2010 से अपने कब्जे में लेने के पश्चात माह 7/2010 से 12/2010 तक प्राप्त आय व किए गए व्यय का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन छः मासों में यात्री निवास पर ₹322493/— की हानि वहन करनी पड़ी जिस का विवरण निम्नलिखित हैः—

1	7/2010 से 12/2010 तक यात्री निवास में तैनात कर्मचारियों का वेतन (परिशिष्ट (viii) के अनुसार)	₹401766
2	यात्री निवास के रख—रखाव पर अन्य फुटकर खर्चे	₹25678
	कुल व्यय	₹4274441
3	7/2010 से 12/2010 तक कमरों के किराये के रूप प्राप्त राशि	₹104951
	कुल वित्तीय हानि	**₹322493**

यदि भविष्य में इसी प्रकार यात्री निवास का संचालन हानि उठाकर किया जाता रहा तो इसे खरीदने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि यात्री निवास से प्राप्त होने वाली आय में बढ़ौतरी हेतु तथा यात्री निवास पर किए जाने वाले खर्चे पर कमी लाने के किए कारगार कदम उठाए जाएं।

(iv) खरीद हेतु कमेटी गठित न करने बारेः–

मन्दिर द्वारा इतनी बड़ी राशि का सम्पत्ति क्रय करने से पूर्व अपने स्त्तर पर किसी क्रय समिति का गठन नहीं किया। यदि विधिवत से विशेषज्ञ सहित समिति गठित की जाती और उसकी सिफारिशों के दृष्टिगत पर्यटन विभाग से उक्त सम्पति का मूल्य निर्धारित किया जाता तो भुगतान की गई राशि में सम्भवतः कमी लाई जा सकती थी। अतः नियमानुसार कमेटी का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

19 विभिन्न विभागों को दिए गए पंखों के बारे मेंः–,

संस्था ने निम्न विवरणानुसार कुल ₹4600/–के मूल्य के पॉच पंखों को विभिन्न विभागो को दिया गया था मगर अंकेक्षण मे ंपाया गया कि इन विभागों से पंखों की कीमत की वसूली नहीं की गई थी तथा न ही जारी किए गए पंखों का नियमितीकरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से करवाया गया है। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	पंखों की सं0	मूल्य	विभाग
23.3.2010	2	1840	सब तहसील कार्यालय गलोड़, जिला हमीरपुर
19.4.2010	3	2760	सब–जज कार्यालय बड़सर, जिला हमीरपुर
कुल योग	**5**	**₹4600**	

20 रसीदों के प्रयोग के बारे मेंः–

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा निम्नविवरणानुसार दान की वसूली हेतु एक ही मास में एक ही क्रमांक की विभिन्न रसीदों का प्रयोग किया गया था जो कि गम्भीर आपत्तिजनक मामला है जिस की विभागीय जॉच करके वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा रसीदों से सम्बन्धित अभिलेख में नियमानुसार क्रमांक लगाया जाए।

रसीद क्रमांक सं0	प्रयोग करने की दिनांक
1601 से 1700	5.4.10 से 7.4.10
1601 से 1700	17.4.10 से 21.4.10

21 स्टॉक एव स्टोर रजिस्टरों में जारी किए गए सामान के बारे में:–

मन्दिर न्यास के स्टॉक एवं स्टोर रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि स्टॉक से जो सामग्री जारी किए गए है उससे सम्बन्धित मॉग या अधियाचना तथा अन्य विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस के कारण जारी किए गए स्टॉक की सत्यापना नहीं की जा सकी। अतः स्टोर एवं स्टॉक से जारी की गई सामग्री से सम्बन्धित मांग व अन्य विवरण आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाएं।

22 यात्री निवास के आगन्तुक रजिस्टर के रख रखाव के बारे में:–

संस्था के यात्री निवास के आगन्तुक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि उस में यात्री के आने व जाने के समय का विवरण नहीं दिया गया था जिसके कारण यात्री निवास से प्राप्त आय की सही होने की सत्यापना नहीं की जा सकी। अतः आगन्तुक रजिस्टर को नियमानुसार बनाया जाए और अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

23 विविध:–

(i) मन्दिर न्यास कार्यालय द्वारा भुगतान वाउचरों का रोकड़ वहियो से मिलान नहीं किया गया क्योंकि भुगतान वाऊचरों का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था। अतः भविष्य में भुगतान वाउचरों का रख रखाव उचित प्रकार से किया जाए ताकि रोकड़ वहियों व भुगतान वाऊचरों का मिलान करने में सुगमता रहे।

(ii) मन्दिर न्यास की विभिन्न निधि खातों से सम्बन्धित रोकड़ वहियों को अवधि 10.4.2010 से 15.4.2010 तक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण इस अवधि के दौरान हुए लेन–देन की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अवधि मे हुए लेन–देन की प्रत्येक प्रविष्टि को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

(iii) मन्दिर न्यास निधियों से खरीदे गये या दान स्वरूप प्राप्त स्टोर–स्टॉक से सम्बन्धित समान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया। अतः स्टोर स्टॉक में पड़े सभी सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) मन्दिर न्यास कार्यालय द्वारा विभिन्न लेखाओं के रख रखाव हेतु जारी किये गये रजिस्टरों व फाईलों का लेखा–जोखा रखने के लिए (Inventory) रजिस्टर नहीं लगाया है जिस के चलते यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किस लेखे के लेखांकन हेतु कितने रजिस्टर व फाईलें जारी की गई है। अतः जारी किये गये प्रत्येक रजिस्टर व फाईलों का लेखा जोखा रखने के लिए (Inventry) रजिस्टर लगाया जाए ताकि किसी लेखें विशेष की पड़ताल करने मे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस लेखें के रख रखाव हेतु कितने रजिस्टर अथवा फाईलें जारी की गई है।

24 **लधु आपत्ति विवरणिकाः—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

25 **निष्कर्षः—** लेंखाओं के रख रखाव में काफी सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)(एच) (2)सी (xiv) 195/97खण्ड—5—6451—6455 दिनांक 17.08.2012, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1 प्रधान सचिव (भाषा कला एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला—2

2 उपायुक्त वं आयुक्त मन्दिर न्यास हमीरपुर जिला हमीरपुर,

3 निदेशक (भाषा कला एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश, शिमला—9

पंजीकृत 4 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध जिला हमीरपुर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

5 श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा.......................

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

<u>परिशिष्ट "क"</u>

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का सारः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2001

1	पैरा–4 (3) (ख)	निर्णीत	
2	पैरा–4 (3) (ग)	निर्णीत	
3	पैरा–5 (क) (1)	निर्णीत	
4	पैरा–5 (क) (2)	निर्णीत	
5	पैरा–5 (क) (3)	निर्णीत	
6	पैरा–5 (क) 5 (ग)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
7	पैरा–5 (क) 7 (ख)	निर्णीत	(यथोपरि)
8	पैरा–5 (क) 8 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–5 (क) 8 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–5 (क) 8 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा–5 (क) 9 (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा–5 (क) 9 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा–5 (क) 11	निर्णीत	
14	पैरा–5 (क) 14	निर्णीत	
15	पैरा–5 (क) 17	अनिर्णीत	
16	पैरा–5 (क) 18	निर्णीत	(अभिलेख दिखा दिया गया है)
17	पैरा–5 (क) 19 (क) (1)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
18	पैरा–5 (क) 19 (क) (2)	निर्णीत	(यथोपरि)
19	पैरा–5 (क) 20 (क)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख दिखा दिया गया)
20	पैरा–5 (ख) 2 (क)	निर्णीत	
21	पैरा–5 (ख) 2 (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा–5 (ख) 3 (ग) (1)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
23	पैरा–5 (ख) 3 (ग) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)

24	पैरा–5 (ख) 6 (क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
25	पैरा–5 (ख) 6 (ख) (1)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
26	पैरा–5 (ख) 6 (ख) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
27	पैरा–5 (ख) 6 (ख) (3)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
28	पैरा–5 (ख) 6 (ग)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई करके दिखा दी गई)
29	पैरा–5 (ख) 6 (घ)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
30	पैरा–5 (ख) 7	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
31	पैरा–5 (ख) 8 (क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
32	पैरा–5 (ख) 8 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
33	पैरा–5 (ख) 8 (ग) (1)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई कर ली गई)
34	पैरा–5 (ख) 8 (ग) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
35	पैरा–5 (ख) 8 (घ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
36	पैरा–5 (ख) 8 (ग)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
37	पैरा–5 (ख) 8 (छ)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
38	पैरा–5 (ग) 9 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
39	पैरा–5 (ग) 10 (क)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
40	पैरा–5 (ग) 12 (ख)	अनिर्णीत	
41	पैरा–5 (ग) 12 (ग)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
42	पैरा–5 (ग) 14 (ख)	अनिर्णीत	
43	पैरा–6 (क) (1)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है)
44	पैरा–6 (क) (3)	अनिर्णीत	
45	पैरा–6 (क) (4)	अनिर्णीत	
46	पैरा–6 (क) (5)	अनिर्णीत	
47	पैरा–6 (क) (7)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
48	पैरा–6 (क) 11 (क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
49	पैरा–6 (क) 11 (ख)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
50	पैरा–6 (क) 11 (ग)	अनिर्णीत	
51	पैरा–6 (क) 15	अनिर्णीत	
52	पैरा–6 (क) 16	निर्णीत	
53	पैरा–6 (क) 17	निर्णीत	

54	पैरा–6 (क) 20	निर्णीत	
55	पैरा–6 (क) 21	निर्णीत	
56	पैरा–6 (क) 23	अनिर्णीत	
57	पैरा–6 (क) 24	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
58	पैरा–6 (क) 26	निर्णीत	
59	पैरा–6 (ग) (1)	अनिर्णीत	
60	पैरा–6 (घ) (1)	अनिर्णीत	
61	पैरा–6 (घ) 2 (ख)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
62	पैरा–6 (घ) 2 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
63	पैरा–6 (घ) 3	निर्णीत	(–यथोपरि–)
64	पैरा–6 (घ) 4	अनिर्णीत	
65	पैरा–6 (घ) 5	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
66	पैरा–6 (घ) 6	निर्णीत	(₹194/– की वसूली करके दिनांक 27.1.2012 को जमा करवा दी गई)
67	पैरा–6 (ङ)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
68	पैरा–8 (1)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
69	पैरा–8 (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
70	पैरा–11 (1)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
71	पैरा–11 (2)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
72	पैरा–11 (4)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2002 से 12/2002

1	पैरा–6 (1) (क)	निर्णीत	(अभिलेख दिखा दिया गया)
2	पैरा–6 (1) (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
3	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (5) (क)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
5	पैरा–6 (5) (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा–6 (7)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
7	पैरा–6 (8)	अनिर्णीत	
8	पैरा–6 (9)	निर्णीत	(अभिलेख दिखा दिया गया)
9	पैरा–6 (10) (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–6 (10) (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–6 (13)	अनिर्णीत	
12	पैरा–6 (14) (क)	निर्णीत	(वांछित अभिलेख दिखा दिया गया)
13	पैरा–6 (15)	अनिर्णीत	

14	पैरा–6 (17)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
15	पैरा–6 (20)	निर्णीत	
16	पैरा–6 (21)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
17	पैरा–6 (22) (क)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
18	पैरा–6 (22) (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
19	पैरा–6 (22) (घ)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
20	पैरा–6 (23)	अनिर्णीत	
21	पैरा–6 (24) (क)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
22	पैरा–6 (24) (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
23	पैरा–6 (24) (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
24	पैरा–6 (24) (घ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
25	पैरा–6 (24) (ङ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
26	पैरा–6 (26)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
27	पैरा–6 (27)	अनिर्णीत	
28	पैरा–6 (28)	निर्णीत	(न्यास कार्यालय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
29	पैरा–6 (31)	अनिर्णीत	
30	पैरा–6 (41)	निर्णीत	(भविष्य मे अनुपालना हेतु नोट कर लिया है)
31	पैरा–6 (44)	निर्णीत	(₹220/–की वूसली करके दिनांक 1.2.2012 को खाता सं0 40 मे जमा करवा दी गई)
32	पैरा–6 (46)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
33	पैरा–6 (47)	निर्णीत	
34	पैरा–6 (48)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
35	पैरा–6 (49)	अनिर्णीत	
36	पैरा–6 (50)	अनिर्णीत	
37	पैरा–6 (54)	अनिर्णीत	
38	पैरा–8 (1)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
39	पैरा–8 (2)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख दिखा दिया गया)
40	पैरा–8 (3)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
41	पैरा–8 (4)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
42	पैरा–8 (7)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई है)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2003

1	पैरा–3 (ख)	निर्णीत	
2	पैरा–3 (ग)	निर्णीत	
3	पैरा–4	निर्णीत	
4	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा–6 (1) (क)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
6	पैरा–6 (1) (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–6 (1) (ग)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
8	पैरा–6 (2)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
9	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत	
10	पैरा–6 (7)	निर्णीत	
11	पैरा–6 (9) (क)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
12	पैरा–6 (9) (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा–6 (10) (ख)	निर्णीत	
14	पैरा–6 (11) (क)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
15	पैरा–6 (11) (ख)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
16	पैरा–6 (12) (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा–6 (12) (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा–6 (12) (ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा–6 (14) (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा–6 (14) (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा–6 (15) (क)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख दिखा दिया गया)
22	पैरा–6 (15) (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
23	पैरा–6 (15) (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
24	पैरा–6 (16)	अनिर्णीत	
25	पैरा–6 (17) (क)	निर्णीत	
26	पैरा–6 (17) (ख)	निर्णीत	
27	पैरा–6 (18) (क)	अनिर्णीत	
28	पैरा–6 (18) (ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा–6 (19) (ङ)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है)
30	पैरा–6 (20) (ख)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
31	पैरा–6 (21)	अनिर्णीत	

32	पैरा–6 (22)	निर्णीत	
33	पैरा–6 (23)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालनार्थ नोट कर लिया है)
34	पैरा–6 (25) (क)	अनिर्णीत	
35	पैरा–6 (25) (ख)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख दिखा दिया गया)
36	पैरा–6 (25) (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
37	पैरा–6 (27)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
38	पैरा–6 (28)	निर्णीत	
39	पैरा–6 (30)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
40	पैरा–6 (32)	अनिर्णीत	
41	पैरा–6 (33) (क)	अनिर्णीत	
42	पैरा–6 (33) (ख)	अनिर्णीत	
43	पैरा–6 (34)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
44	पैरा–6 (35)	अनिर्णीत	
45	पैरा–6 (36) (क)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार)
46	पैरा–6 (36) (ख)	अनिर्णीत	
47	पैरा–6 (37)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया है)
48	पैरा–6 (39)	निर्णीत	
49	पैरा–6 (40)	निर्णीत	
50	पैरा–6 (42)	निर्णीत	
51	पैरा–6 (43)	अनिर्णीत	
52	पैरा–6 (44)	निर्णीत	
53	पैरा–6 (45)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
54	पैरा–6 (46)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
55	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत	
56	पैरा–7 (6)	निर्णीत	
57	पैरा–8 (1)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख दिखा दिया गया)
58	पैरा–8 (2)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार)
59	पैरा–8 (4)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2004 से 12/2004

1	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (1) (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (1) (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (1) (ग)	अनिर्णीत

5	पैरा–6 (1) (घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा–6 (1) (ङ)	अनिर्णीत	
7	पैरा–6 (1) (च)	अनिर्णीत	
8	पैरा–6 (2) (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–6 (3) (क)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
10	पैरा–6 (3) (ख)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है)
11	पैरा–6 (4) (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा–6 (4) (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा–6 (4) (ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा–6 (5) (क)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है)
15	पैरा–6 (5) (ख)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया है)
16	पैरा–6 (6) (क)	निर्णीत	(₹86/–की वसूली करके दिनांक 6.2.2012 को जमा करवा दी गई)
17	पैरा–6 (6) (ख)	निर्णीत	(₹150/–की वसूली करके दिनांक 6.2.2012 को जमा करवा दी गई)
18	पैरा–6 (6) (ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा–6 (7) (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा–6 (7) (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा–6 (7) (ग)	अनिर्णीत	
22	पैरा–6 (7) (घ)	अनिर्णीत	
23	पैरा–6 (8)	अनिर्णीत	
24	पैरा–6 (9) (क)	अनिर्णीत	
25	पैरा–6 (9) (ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा–6 (9) (ग)	अनिर्णीत	
27	पैरा–6 (9) (घ) (1)	अनिर्णीत	
28	पैरा–6 (9) (घ) (2)	अनिर्णीत	
29	पैरा–6 (9) (ङ)	अनिर्णीत	
30	पैरा–6 (9) (च)	अनिर्णीत	
31	पैरा–6 (9) (छ)	अनिर्णीत	
32	पैरा–6 (9) (ज)	अनिर्णीत	
33	पैरा–6 (9) (झ) (1)	अनिर्णीत	
34	पैरा–6 (9) (झ) (2)	अनिर्णीत	
35	पैरा–6 (11)	अनिर्णीत	
36	पैरा–6 (12)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)

37	पैरा–6 (13)	अनिर्णीत	
38	पैरा–6 (14) (क)	अनिर्णीत	
39	पैरा–6 (14) (ख)	अनिर्णीत	
40	पैरा–6 (15) (क)	अनिर्णीत	
41	पैरा–6 (15) (ख)	अनिर्णीत	
42	पैरा–6 (17) (क)	निर्णीत	
43	पैरा–6 (17) (ख)	निर्णीत	
44	पैरा–6 (18)	निर्णीत	
45	पैरा–6 (19) (क)	अनिर्णीत	
46	पैरा–6 (19) (ख)	अनिर्णीत	
47	पैरा–6 (20) (ख)	अनिर्णीत	
48	पैरा–6 (20) (ग)	अनिर्णीत	
49	पैरा–6 (21)	अनिर्णीत	
50	पैरा–6 (22)	अनिर्णीत	
51	पैरा–6 (23)	अनिर्णीत	
52	पैरा–6 (26) (ख)	अनिर्णीत	
53	पैरा–6 (26) (ग)	अनिर्णीत	
54	पैरा–6 (26) (घ)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
55	पैरा–6 (27) (क)	अनिर्णीत	
56	पैरा–6 (27) (ख)	अनिर्णीत	
57	पैरा–6 (27) (ग)	अनिर्णीत	
58	पैरा–6 (27) (घ)	अनिर्णीत	
59	पैरा–6 (27) (ङ) (1)	अनिर्णीत	
60	पैरा–6 (27) (ङ) (2)	अनिर्णीत	
61	पैरा–6 (27) (ङ) (3)	अनिर्णीत	
62	पैरा–6 (27) (च) (1)	अनिर्णीत	
63	पैरा–6 (27) (च) (2)	अनिर्णीत	
64	पैरा–6 (27) (च) (3)	अनिर्णीत	
65	पैरा–6 (27) (च) (4)	अनिर्णीत	
66	पैरा–6 (27) (छ) (1)	अनिर्णीत	
67	पैरा–6 (27) (छ) (2)	अनिर्णीत	
68	पैरा–6 (27) (छ) (3)	अनिर्णीत	
69	पैरा–6 (27) (ज) (1)	अनिर्णीत	
70	पैरा–6 (27) (झ) (1)	अनिर्णीत	
71	पैरा–6 (27) (झ) (2)	अनिर्णीत	

72	पैरा–6 (28)	अनिर्णीत	
73	पैरा–6 (29)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
74	पैरा–6 (30)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
75	पैरा–6 (31)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया)
76	पैरा–6 (32)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
77	पैरा–6 (33)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
78	पैरा–6 (34)	अनिर्णीत	
79	पैरा–6 (35)	निर्णीत	(₹74/–की वसूली करके दिनांक 3.2.2012 को जमा करवा दी गई)
80	पैरा–6 (36)	निर्णीत	(₹140/–की वसूली करके दिनांक 3.2.2012 को जमा करवा दी गई)
81	पैरा–6 (38)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
82	पैरा–6 (39)	निर्णीत	
83	पैरा–6 (40)	निर्णीत	
84	पैरा–6 (41)	निर्णीत	(₹4450/–का समायोजन कर लिया गया है)
85	पैरा–6 (43)	अनिर्णीत	
86	पैरा–6 (45)	अनिर्णीत	
87	पैरा–6 (46)	अनिर्णीत	
88	पैरा–6 (47)	अनिर्णीत	
89	पैरा–6 (48)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
90	पैरा–6 (50) (क)	अनिर्णीत	
91	पैरा–6 (50) (ख)	अनिर्णीत	
92	पैरा–6 (51)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
93	पैरा–6 (52)	निर्णीत	(₹80/–की वसूली करके दिनांक 6.2.2012 को जमा करवा दी गई)
94	पैरा–6 (53)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार)
95	पैरा–6 (54)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
96	पैरा–6 (55)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई कर ली गई है)
97	पैरा–6 (57)	अनिर्णीत	
98	पैरा–6 (58) (क)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
99	पैरा–6 (58) (ख)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
100	पैरा–6 (59)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)

101	पैरा–6 (60)	अनिर्णीत	
102	पैरा–6 (61)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
103	पैरा–6 (62)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
104	पैरा–6 (63)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
105	पैरा–6 (64)	अनिर्णीत	
106	पैरा–6 (65)	निर्णीत	(₹580/–की वसूली करके जमा करवा दी गई)
107	पैरा–6 (66)	अनिर्णीत	
108	पैरा–6 (67)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
109	पैरा–6 (68)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
110	पैरा–6 (69)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
111	पैरा–6 (70)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टकीरण के दृष्टिगत)
112	पैरा–6 (71) (क)	अनिर्णीत	
113	पैरा–6 (71) (ख)	अनिर्णीत	
114	पैरा–6 (71) (ग) (1)	अनिर्णीत	
115	पैरा–6 (71) (ग) (2)	अनिर्णीत	
116	पैरा–6 (72)	अनिर्णीत	
117	पैरा–6 (73)	निर्णीत	(₹188/–की वसूली करके दिनांक 1.2.2012 को जमा करवा दी गई)
118	पैरा–6 (74)	अनिर्णीत	
119	पैरा–6 (75)	अनिर्णीत	
120	पैरा–6 (76)	अनिर्णीत	
121	पैरा–6 (77)	अनिर्णीत	
122	पैरा–6 (78)	अंशतः निर्णीत	(दिनांक 1.5.2000 से 31.10.04 तक ₹5750/–की HRA की वसूली की गई)
123	पैरा–6 (79) (क)	अनिर्णीत	
124	पैरा–6 (79) (ख)	अनिर्णीत	
125	पैरा–6 (81) (क)	अनिर्णीत	
126	पैरा–6 (81) (ख)	अनिर्णीत	
127	पैरा–6 (84)	अनिर्णीत	
128	पैरा–6 (86) (क)	अनिर्णीत	
129	पैरा–6 (86) (ख)	अनिर्णीत	
130	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	

131	पैरा—7 (2)	अनिर्णीत	
132	पैरा—7 (3)	अनिर्णीत	
133	पैरा—7 (4)	अनिर्णीत	
134	पैरा—7 (5)	अनिर्णीत	
135	पैरा—8 (6)	अनिर्णीत	
136	पैरा—9 (1)	अनिर्णीत	
137	पैरा—9 (2)	अनिर्णीत	
138	पैरा—9 (3)	अनिर्णीत	
139	पैरा—9 (5)	अनिर्णीत	
140	पैरा—9 (7)	अनिर्णीत	
141	पैरा—10 (4)(ख)	निर्णीत	
142	पैरा—10 (6)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
143	पैरा—10 (7)	अनिर्णीत	
144	पैरा—10 (21)	निर्णीत	(₹1387 / —की वसूली करके दिनांक 6.2.2012 को जमा करवा दी गई)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1 / 2005 से 12 / 2005

1	पैरा—5 (4)	अनिर्णीत	
2	पैरा—5 (5) (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा—5 (5) (ख) (1)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
4	पैरा—5 (5) (ख) (2)	निर्णीत	(₹101 / —की वसूली करके दिनांक 6.2.12 को जमा कर दी गई)
5	पैरा—5 (5) (ख) (3)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
6	पैरा—5 (5) (ख) (4)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
7	पैरा—5 (5) (ग) (1)	अनिर्णीत	
8	पैरा—5 (5) (ग) (2)	अनिर्णीत	
9	पैरा—5 (5) (ग) (3)	अनिर्णीत	
10	पैरा—5 (5) (ग) (4)	अनिर्णीत	
11	पैरा—5 (5) (ग) (5)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
12	पैरा—5 (5) (ग) (6)	निर्णीत	(₹796 / —'की वसूली करके दिनांक 6.2.2012 को जमा करवा दी गई)
13	पैरा—9	अनिर्णीत	
14	पैरा—10	निर्णीत	(अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया)
15	पैरा—11	अनिर्णीत	

16	पैरा–13	अनिर्णीत	
17	पैरा–14	निर्णीत	
18	पैरा–16	अनिर्णीत	
19	पैरा–17 (1)	निर्णीत	
20	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत	
21	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत	
22	पैरा–19	निर्णीत	
23	पैरा–20	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना कर ली गई)
24	पैरा–21 (1)	अनिर्णीत	
25	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत	
26	पैरा–22	अनिर्णीत	
27	पैरा–24 (1)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
28	पैरा–24 (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
29	पैरा–24 (3)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
30	पैरा–25 (1)	अनिर्णीत	
31	पैरा–25 (2)	अनिर्णीत	
32	पैरा–25 (3)	अनिर्णीत	
33	पैरा–27	अनिर्णीत	
34	पैरा–28 (1)	अनिर्णीत	
35	पैरा–28 (2)	अनिर्णीत	
36	पैरा–28 (3)	अनिर्णीत	
37	पैरा–29 (1)	अनिर्णीत	
38	पैरा–29 (2)	अनिर्णीत	
39	पैरा–30 (1)	अनिर्णीत	
40	पैरा–30 (2)	अनिर्णीत	
41	पैरा–30 (3)	अनिर्णीत	
42	पैरा–30 (4)	अनिर्णीत	
43	पैरा–30 (5)	अनिर्णीत	
44	पैरा–31	अनिर्णीत	
45	पैरा–32 (1)	अनिर्णीत	
46	पैरा–32 (2)	अनिर्णीत	
47	पैरा–32 (4)	अनिर्णीत	
48	पैरा–32 (5)	अनिर्णीत	
49	पैरा–32 (6)	अनिर्णीत	
50	पैरा–33	अनिर्णीत	

51	पैरा–34	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया)
52	पैरा–35	निर्णीत	(अंकेक्षण को दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
53	पैरा–36	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
54	पैरा–38 (1)	अनिर्णीत	
55	पैरा–40 (क) (1)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
56	पैरा–40 (क) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
57	पैरा–40 (क) (3)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
58	पैरा–46	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया)
59	पैरा–47 (1)	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
60	पैरा–47 (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
61	पैरा–47 (3)	निर्णीत	(–यथोपरि–)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2006 से 12/2006

1	पैरा–4	निर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (1) (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–13	अनिर्णीत
10	पैरा–14	अनिर्णीत
11	पैरा–15	अनिर्णीत
12	पैरा–20	अनिर्णीत
13	पैरा–22 (2)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2007 से 12/2007

1	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत

8	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा–14	अनिर्णीत
12	पैरा–15	अनिर्णीत
13	पैरा–16	अनिर्णीत
14	पैरा–17	अनिर्णीत
15	पैरा–20	अनिर्णीत
16	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत
17	पैरा–22	अनिर्णीत
18	पैरा–25	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2008 से 12/2008

1	पैरा–4	निर्णीत	
2	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7	अनिर्णीत	
6	पैरा–8	निर्णीत	(कम भुगतान की गई राशि का समायोजन कर लिया गया)
7	पैरा–9	निर्णीत	
8	पैरा–10	अनिर्णीत	
9	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–12	अनिर्णीत	
12	पैरा–13	अनिर्णीत	
13	पैरा–14	अनिर्णीत	
14	पैरा–16	निर्णीत	
15	पैरा–17	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
16	पैरा–18	अनिर्णीत	
17	पैरा–19	अनिर्णीत	
18	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	
19	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा–21	अनिर्णीत	
21	पैरा–22	अनिर्णीत	

22	पैरा–24	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख दिखा दिया गया)
23	पैरा–25 (क)	अनिर्णीत	
24	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा–26	अनिर्णीत	
26	पैरा–28	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
27	पैरा–29	अनिर्णीत	
28	पैरा–30	अनिर्णीत	
29	पैरा–32	निर्णीत	(₹100/–की वसूली करके दिनांक 14.10.2011 को जमा करवा दी गई)
30	पैरा–33 (1)	अनिर्णीत	
31	पैरा–33 (2)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2009

1	पैरा–4	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि भेज दी गई)
2	पैरा–5	निर्णीत	
3	पैरा–6	निर्णीत	(₹3334/–की वसूली कर्मचारी के वेतन माह दिसम्बर 2010 से कर ली गई)
4	पैरा–7	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
5	पैरा–8	अनिर्णीत	
6	पैरा–9	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
7	पैरा–10	अनिर्णीत	
8	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(वांछित अभिलेख दिखा दिया गया)
10	पैरा–11 (ग) (1)	अनिर्णीत	
11	पैरा–11 (ग) (2)	अनिर्णीत	
12	पैरा–11 (ग) (3)	अनिर्णीत	
13	पैरा–12	अनिर्णीत	
14	पैरा–13	अनिर्णीत	
15	पैरा–14	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
16	पैरा–15 (1)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)
17	पैरा–15 (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
18	पैरा–16	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत)

19	पैरा—17	अनिर्णीत	
20	पैरा—18 (i)	अनिर्णीत	
21	पैरा—18 (ii)	अनिर्णीत	
22	पैरा—18 (iii)	अनिर्णीत	
23	पैरा—19	अनिर्णीत	
24	पैरा—20	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई कर ली गई)
25	पैरा—21	अंशतः निर्णीत	
26	पैरा—22	निर्णीत	(अनुपालना दिखा दी गई)
27	पैरा—23	अनिर्णीत	
28	पैरा—24	अनिर्णीत	
29	पैरा—25	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख दिखा दिया गया)
30	पैरा—26	अनिर्णीत	
31	पैरा—27 (क)	अनिर्णीत	
32	पैरा—27 (ख)	अनिर्णीत	
33	पैरा—28	निर्णीत	(अभिलेख दिखा दिया गया)
34	पैरा—29	अनिर्णीत	
35	पैरा—30	अनिर्णीत	
36	पैरा—31	निर्णीत	(कम मदों का समायोजन कर लिया गया)
37	पैरा—32	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई सहित अनुपालना दिखा दी गई)
38	पैरा—33	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
39	पैरा—34	निर्णीत	
40	पैरा—35	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
41	पैरा—36 (क)	अनिर्णीत	
42	पैरा—36 (ख)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2010 के पैरा संख्या में दी गई)
43	पैरा—36 (ग)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2010 के पैरा संख्या में दी गई)